O/o CE (EITC)
Receipt No. 8899
Date 03 FEB 2020
DGM (IT) / SE(O)
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 12/2019 दिनांक 04.11.2019

श्री विवेक मेश्राम
पिता श्री दिनेश मेश्राम
निवासी– स्टेशन पारा
वार्ड क्रमांक 07, शंकरपुर रोड़
जिला– राजनांदगांव (छ.ग.) — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 01/02/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री विवेक मेश्राम, राजनांदगांव की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 12/2019 दिनांक 04.11.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विवेक मेश्राम, राजनांदगांव ने आवेदन दिनांकित 07.09.2019 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है:–

1. वर्ष 2018 में आपके विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 01–04/एच.आर.–आठ/1762 दिनांक 18.07.2018 को विभिन्न पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसमे पद क्रमांक 03 (ADO/AM (HR) Trainee) (पोस्ट कोड 03) हेतु कम्प्यूटर आधारित चयन परीक्षा आयोजन किया गया। उक्त पद हेतु कम्प्युटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर अभिलार्थी का नाम व प्राप्तांको सहित मेरिट सूची की प्रति।

2. उक्त विज्ञापन में पद क्रमांक 03 हेतु विभाग द्वारा साक्षात्कार आयोजन किया गया। अतः साक्षात्कार में उपस्थित प्रत्येक अभियार्थी को साक्षात्कार में कितने–कितने अंक प्रदाय किये गये हैं कि जानकारी।

3. चयन उपरान्त सम्पूर्ण चयनित अभियार्थियों की सूची, पूर्णतः स्थायी निवास स्थान का पूर्ण पता की प्रति।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में जानकारी उपलब्ध करायी गई है, जिससे वे असंतुष्ट है, अतएव उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3) दर्ज अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–12/2019/27 दिनांक 15.11.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित तिथि 25.11.2019 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना

पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री विवेक मेश्राम को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी श्री मेश्राम अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.12.2019 को नियत की गई। जिसकी सूचना उभय पक्षों को पत्र कमांक 28 दिनांक 27.11.2019 के माध्यम से दी गई। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए, किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्वास्थ ठीक नही होने के कारण प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अतएव अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उन्हे पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 27.11.2019 इस कार्यालय में दिनांक 29.11.2019 को प्राप्त हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा लेख किया गया है कि उन्हे सुनवाई दिनांक 25.11.2019 संबंधी पत्र पेशी तारीख के बाद प्राप्त हुआ है, अतः वह दिनांक 25.11.2019 को उपस्थित नही हो सका। अतः उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

उक्ताशय के प्ररिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 23.01.2020 को नियत की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को पत्र कमांक 01 दिनांक 03.01.2020 के द्वारा दी गई। साथ ही अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से भी सुनवाई तिथि के संबंध में सूचना दी गई। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री के.एस.भारती के दिल्ली प्रवास में होने के कारण उनके स्थान पर श्री पंकज सिंह परमार सहायक जनसूचना अधिकारी प्रबंधक (मा.सं.)–तीन एवं संबधित प्रभाग से श्रीमती अल्पना शरत तिवारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी श्री मेश्राम अपने प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार वर्मा अधिवक्ता (अधिकार पत्र) के साथ उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

(4) प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज सिंह के द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र कमांक 1563 दिनांक 03.10.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नही है। यह भी लेख है कि चूंकि प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है, अतः उक्त जानकारी आपको उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(5) अपील के निराकरण में पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) श्री राजेश कुमार वर्मा अधिवक्ता (प्रतिनिधि) का अपील तर्क कि आवेदनकर्ता श्री मेश्राम को वांछित जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नही है। साथ ही यह भी लेख है कि चूंकि प्रशासनिक अधिकारी/सहायक

प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त जानकारी आपको उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतएव जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर तथा गोल मटोल मिथ्या एवं भ्रामक जानकारी उपलब्ध करायी गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदक उक्त पद हेतु स्वयं उम्मीदवार एवं अभ्यर्थी है ऐसी स्थिति में आवेदक को नियम के अनुसार जानकारी दिया जाना था। यदि उत्तरवादी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाने की दृष्टि से याचित दस्तावेजों की प्रति अपीलार्थी को जानबूझ कर उपलब्ध नही करायी गई है, तो उत्तरवादी के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(iii) प्रतिअपीलार्थी का प्रत्युत्तर कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी जो तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है। जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् जानकारी है। जिसे तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नही है। अवगत हो कि चूंकि प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु पद पर भर्ती की कार्यवाही [illegible] समयावधि में प्रक्रियाधीन थी। क्योकि चयनित उम्मीदवारों के पदभार ग्रहण नही करने से उत्पन्न रिक्त पद की जानकारी पॉवर कंपनीज से प्राप्त होने के पश्चात्, रिक्त पद के विरूद्ध मेरिट सूची से अन्य उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया जाता है, अतः भर्ती प्रक्रियाधीन ही रहती है। इसलिए आवेदक को भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है से अवगत करायी गई।

यह कि उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है। अतएव आवेदक को उक्त पद हेतु परीक्षा में सम्मलित समस्त उम्मीदवारों के कम्प्युटर आधारित परीक्षा के प्राप्तांकों, उम्मीदवारों के नाम व मेरिट सूची तथा साक्षात्कार में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अंक की जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है।

(iv) उक्ताशय के संबंध में अपीलार्थी तथा उनके प्रतिनिधि द्वारा संतुष्ठी व्यक्त करते हुए, चयन उपरान्त सम्पूर्ण चयनित उम्मीदवारों की स्थायी निवास, स्थान का पूर्ण पता की प्रति उपलब्ध कराये जाने बाबत् अनुरोध किया गया।

(v) प्रतिअपीलार्थी का तर्क की उक्त जानकारी में चयनित उम्मीदवारों की पूर्णतः स्थायी निवास, स्थान का पूर्ण पता समाहित है, जो व्यक्तिगत सूचना है जिसे लोकहित में नही दिया जा सकता है। क्योकि उक्त जानकारी में किसी प्रकार की लोक गतिविधि या लोकहित समाहित नही है। अतएव धारा 8(1)–(ञ) के अंतर्गत जो जानकारी व्यक्तिगत गोपनीयता, एकान्तता पर अनपेक्षित आक्रमण करते है वह जानकारी प्रकटन हेतु लोक सूचना अधिकारी बाध्य नही है। व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन में यदि कोई जनहित न हो तो संबधित सूचना प्रकट नही की जा सकती है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/–टीप एवं कंडिका 5/–टीप के पैरा (iii) एवं (V) में दिये गये तर्क नियमानुसार सही है, जो अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं।

प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा ADO/AM (HR) (Trainee) पदों के भर्ती के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा कंड़िका 4/–टीप में जो कार्यवाही की गई है वह वर्तमान समयावधि के दृष्टिगत सही है। यद्यपि कंड़िका 5 टीप के पैरा (iii) में उल्लेखित तथ्यों के तहत अपीलार्थी को उक्त जानकारी वर्तमान में उपलब्ध करायी जा सकती है।

जहाँ तक कंड़िका 5 टीप के पैरा (IV) एवं (V) का प्रश्न है उक्त जानकारी में व्यक्तिगत सूचना समाहित है जिसे लोकहित में प्रकट नही किया जा सकता है। धारा (1)(ञ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

एक अन्य तथ्य जिसकी चर्चा किया जाना उचित होगा कि क्या चाही गई कंड़िका 2/–टीप के बिन्दु कमांक 03 की जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित होगा ? तत्संबंध में धारा 8(1)(ञ) में निहित तथ्यों के अवलोकनार्थ एवं विषयवस्तु की गंभीरता तथा व्यापक लोकहित को देखते हुए उक्त जानकारी का प्रकटन लोकहित में उचित नहीं है।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है अपीलार्थी स्वयं उक्त भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी था, अतएव वर्तमान परिस्थिति में उन्हें कंड़िका 2/–टीप के बिन्दु कमांक 01 एवं 02 की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उपलब्ध करायी जा सकती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कंड़िका 2/–टीप के बिन्दु कमांक 01 एवं 02 की जानकारी अपीलार्थी श्री विवेक मेश्राम को अपील आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से निःशुल्क उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 12/2019 दिनांक 04.11.2019) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(हस्ताक्षर) 01/2/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –12/2019/ 03 रायपुर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपिः–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री विवेक मेश्राम आत्मज श्री दिनेश मेश्राम स्टेशन पारा, वार्ड नबंर–07 शंकरपुर रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर.
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(हस्ताक्षर) 04/2/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700